कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर

पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने, मसोरी सोनसोल फोन न. 0291-2030703 ई-मेल: dfojodhpur@gmail.com

क्रमांक: एफ (593)एफ.सी.ए / उवसं / 2021–22 / 7861 दिनांक: 28/9/2021

निमित्त:– सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर।

विषय : प्रस्तावित रोड कुड़ी भगतासनी हाऊसिंग बोर्ड से पाली सम्पर्क रोड हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं. FP/RJ/16088/2015, क्षेत्रफल 0.3291 के संबंध में।

संदर्भ : कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर का पत्र कमांक एफ 14 (62/9) 2018/एफ.सी.ए/प्रमुवसं/1800 दिनांक 15.07.2021, कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर का पत्र कमांक 3714 दिनांक 19.07.2021 एवं इस कार्यालय पत्र क्रमांक एफ (593)एफ.सी.ए/उवसं/2021–22/6185 दिनांक 02.08.2021 एवं ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड दिनांक 25.09.2021 के क्रम में

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त प्रस्ताव में उच्च कार्यालय द्वारा लगाए गए ऑनलाइन प्रस्ताव में अवलोकन के दौरान निम्न आक्षेपों की पूर्ति करके आपके द्वारा प्रपत्रों में मय स्टाम्प हस्ताक्षरित कर इस कार्यालय को आज दिनांक तक अप्राप्त है :–

(अ) प्रस्ताव को गुगल अर्थ पर देखने पर स्पष्ट होता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बताई वन सीमा सही, वन सीमा नहीं है। गुगल अर्थ पर विभागीय के0एम0एल0 फाईल के अनुसार वनक्षेत्र प्रत्यावर्तन प्रस्ताव ऑन लाइन अपलोड करे एवं ऑफ लाइन हार्ड कॉपी भी डी0जी0पी0एस0 नक्शा की 4–4 कॉपी भिजवाये ताकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 की पालना की जा सकें।

(ब) वनखंड के खसरा मैप पर प्रस्ताव का नाम, संख्या एवं क्षेत्रफल तथा चारों ओर के वनखंड की सीमा से लगते राजस्व खसरान को सुस्पष्ट/पठनीय स्थिति में अंकित करें ताकि सही स्थान ज्ञात हो सके।

(स) प्रस्ताव में पार्ट–1 में आप द्वारा ऑनलाइन अपलोड अतिरिक्त सूचना क्रमांक 9 पर टोपोशीट स्केल 1:50000 विषय में संशोधन करें।

(द) वनखंड के खसरा की राजस्व जमाबंदी को सुस्पष्ट/पठनीय स्थिति में ऑनलाइन अपलोड करे।

अतः आप द्वारा पुनः प्रस्ताव को ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर दिनांक 25.09.2021 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कॉलम में अपलोड किया, जिसमें हार्ड कॉपी के बगैर अवलोकन करना सुनिश्चित नहीं हो रहा है, इसलिए आप 4 प्रतियों में हार्ड कॉपी इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें तथा प्रस्ताव में उच्च कार्यालय द्वारा लगाए गए आक्षेपों की पूर्ति करने के उपरांत ही पुनः ऑनलाइन/ऑफलाइन की कार्यवाही करने के पश्चात इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि उक्त प्रस्ताव में अग्रेतर कार्यवाही की जा सकें।

भवदीय
(राज बिहारी मित्तल)
उप वन संरक्षक
जोधपुर
दिनांक:

क्रमांक:सम
प्रतिलिपि: संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप वन संरक्षक
जोधपुर

Scanned with CamScanner